2014/00200 (16)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी -विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या-138/2014

सन्दीप गर्ग पुत्रश्री मौजीराम जाति वैश्य निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०)

-----------वादी

बनाम

1-बन्तो पत्नी हसनू जाति तेली निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

.........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :11.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा 2565 रकवा 11 बिस्वा वाके ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 15.6.2017 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। पक्षकार बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1- रांदीप गर्ग पुत्रश्री मौजीराम जाति वैश्य निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ -

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2565/1	0.10
कुल	01	0.10

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

2–वन्तो पत्नी हसनू कौम तेली निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ

क0रा0	ख0न0	रकबा
1.	2565 / 1	0.01
कुल	01	0.01

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के बावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्ब जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
नियुक्त अधिकारी लोक अदालत/
पंचायत ....

50

11 OCT 2017

SPECIAL ADHESIVE

डिकी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
प्रकरण संख्या–138 / 2014
व इजलास : विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

सन्दीप गर्ग पुत्रश्री मौजीराम जाति वैश्य निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

—————वादी

बनाम

1–बन्तो पत्नी हसनू जाति तेली निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0) व हाजिरी मिनजानिव मुद्दई श्री हरवीरसिंह एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह .... पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सैपऊ नम्बर 1 तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

1– संदीप गर्ग पुत्रश्री मौजीराम जाति वैश्य निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2565 / 1	0.10
कुल	01	0.10

2–वन्तो पत्नी हसनू कौम तेली निवासी ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2565 / 1	0.01
कुल	01	0.01

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से दिनांक 11.7.2017 को जारी की गई।

डिकी तैयार करने का दिनांक 3.11.2017

उप खण्ड अधिकारी
सैपऊ